वित्तीय वर्ष 2010–11 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित लघु सिंचाई योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।

1:– **निःशुल्क बोरिंग योजना**– इस योजना के अन्तर्गत लघु एंव सीमान्त कृषकों की बोरिंग करायी जाती है।योजना में सामान्य जाति के लघु कृषक को 5000/– रू0, सीमान्त कृषक को 7000/– रू0 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक को 10000/– रू0 तक बोरिंग निर्माण में अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 885 बोरिंग का लक्ष्य जनपद को प्राप्त हुआ, जिसे स्वेत एंव सेमीक्रिटिकल विकास खण्डों में आवंटित किया गया। यह बोरिंग मनरेगा डपटेलिंग के अनुसार पूर्ण करायी जायेंगी।

2– **गहरे नलकूप निमार्ण योजना**– इस योजना के अर्न्तगत सभी श्रेणी के कृषकों की 60 मीटर से 90 मीटर तक की गहरी बोरिंग विभाग द्वारा कराने पर लागत का 50% अथवा अधिकतम 1,00000/– रू0 अनुदान जो भी कम हो देय है । इस वर्ष 2 गहरे नलकूप का लक्ष्य जनपद को प्राप्त हुआ है, जिसका आवंटन किया गया।

3– **मध्यम गहरे नलकूप निमार्ण योजना**–इस योजना में सभी श्रेणी के कृषकों की 31 मीटर से 60 मीटर गहराई तक बोरिंग करायी जाती है। कृषक द्वारा नलकूप निर्माण कराये जाने पर 50% अथवा अधिकतम 75000/– जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त भूमिगत पाइप लाइन बिछाने या पक्का चैनल निर्माण हेतु अधिकतम 10,000/– रू0 के अनुदान की अतिरिक्त अनुदान सुविधा है। इस वर्ष जनपद को 25 नलकूप का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो विकास खण्डों को आवंटित कराये जा चुके हैं।

4– **डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अर्न्तगत गहरी बोरिंग)**

योजना में कठिन एंव गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अर्न्तगत मुख्यतः एस0सी/एस0टी0 के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गहरी बोरिंग करायी जाती है । कृषकों को कठिन व गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में सामूहिक रूप से नलकूप लगाने पर गहरे नलकूप की लागत 4.28 लाख रू0 का शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।इन समूह में कम से कम 51 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति के होना आवश्यक है। वर्ष में 2 नलकूपों का लक्ष्य आवंटित है, जिसे दो विकास खण्डों में 1–1 का लक्ष्य स्वेत विकास खण्डों में दिया गया।

5– **डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना**– इस योजना के अर्न्तगत सभी श्रेणी के कृषकों को कठिन एंव गहरे क्षेत्र में समूह के रूप में गठित समिति को नियमानुसार नलकूप का निमार्ण विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसकी कुल लागत 4.28 लाख की धनराशि का 50% कृषकों द्वारा स्वंय वहन करना पडता है तथा शेष धनराशि का अनुदान समायोजन किया जाता है। इस वर्ष मात्र 1 नलकूप का लक्ष्य आवंटित है, जिसे कादरचौक विकास खण्ड में आवंटित किया गया है ।

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग
बदायूं